INDIA TWENTY RUPEES

समक्षः— माननीय , सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

48

पुनर्विलोकन याचिका कमांक—
I/पुनर्विलोकन/सिवनी/भू.रा/2018/1243

प्रस्तुत दिनांक / /2018

श्रीमंत सेठ गोपालसाव पूरनसाव
दिगम्बर जैन परमार्थिक ट्रस्ट सिवनी,
द्वारा सचिव श्री प्रमोद जैन, —————— आवेदक
तह.व जिला सिवनी (म.प्र.)

— विरूद्ध—.

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा— कलेक्टर, कलेक्ट्रेट सिवनी, —————— अनावेदक
तहसील व जिला सिवनी

पुनर्विलोकन याचिका अंतर्गत धारा 51 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता।

आवेदक निम्न विनय प्रस्तुत करता है :—

1. यह कि, आवेदक ने जिला कलेक्टर सिवनी द्वारा विविध प्रकरण कमांक 68/बी—121/14—15 में पारित आदेश दिनांक 29.12.2016 से दुखी होकर माननीय महोदय के समक्ष निगरानी प्रकरण आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया था। जिस पर सम्माननीय महोदय द्वारा दिनांक 04.10.2017 को पारित आदेश के अनुसार आंवेदक का निगरानी प्रकरण कमांक आर—758—1/2017 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर (डी.बी.) द्वारा रिट अपील कमांक 936/11 में पारित आदेश दिनांक 14.09.2011 के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र होने के निर्देश देते हुए निरस्त करने के संबंध में यह पुनर्विलोकन याचिका निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

।। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में।।

1— शहर सिवनी तहसील तथा जिला सिवनी में स्थित सिविल स्टेशन वार्ड ब्लाक नं0 6, प्लाट नंबर 10 क्षेत्रफल 411866 वर्गफुट नजूल प्लाट का स्थायी पट्टेदार आवेदक ट्रस्ट है। उक्त नजूल प्लाट में से 22658 वर्गफुट नजूल प्लाट व्यवसायिक शॉपिंग कॉम्पलेक्स प्रयोजनार्थ दिनांक 31.03.2025 तक स्थायी पट्टे पर आवेदक ट्रस्ट को नियमानुसार प्रदान किया गया जिसका बटांक 10/2 किया गया और शेष नजूल प्लाट रकबा 389208.83 वर्गफुट नजूल प्लाट नंबर

प्रेस्तुत अधिवक्ता दि. 19/2/18 प्रारंभिक तर्क हेतु 6/3/18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

नोट मार्गदर्शन... ग्वालियर 19-02-2018

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर प्रति... दि. 19/2/18

Pramod Kumar

I/ रिव्यू/ सिवनी/ भू.रा./ 2018/1243

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-08-18	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह पुनरावलोकन आवेदन न्यायालय के प्रकरण कमांक 758—एक/2017 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4—10—2017 पर से म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ है। 2/ पुनरावलोकन आवेदन में अंकित आधारों के कम में आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर किया गया। प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि कलेक्टर जिला सिवनी के प्रकरण कमांक 68 बी—21/2014—15 में पारित आदेश दिनॉक 29—12—2016 के विरूद्व प्रस्तुत निगरानी कमांक 758—एक/2017 निगरानी आदेश दिनांक 4—10—2017 से इस आधार पर अमान्य की गई है कि आवेदक ट्रस्ट को नजूल व्लाक नंबर 6 प्लाट नंबर 10/1, 10/2 कुल रकबा 3534 वर्गमीटर पर माननीय उच्च न्यायालय (डी0बी0) से रिट अपील कमांक 936/2011 में पारित आदेश दिनांक 14—9—11 में विहित आदेश से हटकर अपर कलेक्टर सिवनी ने क्षेत्राधिकार के वाहर जाकर निर्माण की अनुज्ञा दी थी। कलेक्टर सिवनी के समक्ष पुनरावलोकन प्रकरण आने पर प्रकरण कमांक 68 बी—21/2014—15 में पारित आदेश दिनॉक 29—12—2016 से अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त किया गया है जो माननीय उच्च न्यायालय के रिट अपील कमांक 936/2011 में हुये आदेश दिनांक 14—9—11 के अनुरूप है एंव आदेश दिनांक 4—10—2017 में अभिनिर्धारित है कि यदि आवेदक माननीय उच्च न्यायालय (डी0बी0) से रिट अपील कमांक 936/2011 में पारित आदेश दिनांक 14—9—11 से दुखी है तब इस आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय में जाने के लिये स्वतंत्र है। फलतः आदेश दिनांक 4—10—2017 में किसी प्रकार की कम—वेशी नहीं है। म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन के लिये निम्न आधार बताये गये हैं— **1/ किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकती थी, या,** **2/ मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती,** **3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण ।** आवेदक के अभिभाषक ऐसा आधार प्रस्तुत कर समाधान नहीं करा सके हैं कि आदेश दिनांक 4—10—2017 में उक्त में से कौनसी विसंगति है जिसके आधार पर पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जावे। पुनरावलोकन आवेदन आधारहीन होने से अमान्य किया जाता है । सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—184—फॉर्म्स—29-8-16—15,000 प्रपत्र.